छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 120/2007</u>

श्री राघवराम पाण्डेय,
औषधि संयोजक,
शासकीय आयुर्वेद औषधालय करपावण्ड,
ग्रा. पो. करपावण्ड,
जिला–बस्तर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय प्रभारी जिला आयुर्वेद अधिकारी,
जगदलपुर (छत्तीसगढ़)
.... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 06 अगस्त 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राघवराम पाण्डेय, औषधि संयोजक द्वारा जन सूचना अधिकारी आयुर्वेद अधिकारी, बस्तर से जानकारी प्राप्त करने के लिये दिनांक 05–12–2005 को आवेदन प्रस्तुत किया था, जो समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13–10–2006 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 02–02–2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण में विडियो कान्फ्रेसिंग से उभय पक्ष की सुनवाई की गई थी। प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। इसके पूर्व प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी जानकारी न मिलने के कारण दिनांक 26–04–2007 को जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध 20,000/– रुपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 08–06–2007 को प्रस्तुत किया गया। उत्तर में उनके द्वारा बताया गया कि लिपिकीय त्रुटि के कारण किसी अन्य नस्ती में दस्तावेज मिल जाने के कारण शेष दस्तावेज उपलब्ध कराने में विलम्ब हुआ, जिसके लिये उन्होंने क्षमा मांगी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि कुछ डाक्टर्स के बारे में जानकारी मध्यप्रदेश से मांगी गई थी और अधिकांश डाक्टर जनपद पंचायत के अधीन कार्यरत थे, अतः उनकी कोई दुर्भावना नहीं थी और लिपिक के द्वारा दस्तावेज संधारण करने की त्रुटि के कारण समय पर उपलब्ध नहीं करा सके। इस संबंध में कारण बताओ सूचना–पत्र के उत्तर में उनके द्वारा दिया गया उत्तर संतोषप्रद प्रतीत होता है, अतः उक्त कारण बताओ सूचना–पत्र निरस्त किया जाता है। किन्तु फिर भी जिस लिपिक की त्रुटि के कारण जानकारी संधारित नहीं हो सकी, उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा–20(2) के अंतर्गत विभागीय

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की अनुशंसा की जाती है और उक्त कार्यवाही करने के लिये संचालक, आयुर्वेद को जाँच कर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया जाता है। प्रकरण में अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत विलम्ब के कारण हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिये 500/– रुपये (पाँच सौ रुपये मात्र) राशि विभाग के ओर से अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं, जो यदि अभी तक भुगतान नहीं किये गये हों तो अब 01 सप्ताह के अंदर भुगतान की जावे। चूँकि अधिकांश जानकारी अपील में कार्यवाही के बाद दी जा चुकी है, फिर भी अपीलार्थी की कोई जानकारी अपूर्ण रह गई है और यदि मिलना शेष हो और वह जानकारी मध्यप्रदेश से संबंधित हो तो अपीलार्थी को मध्यप्रदेश में ही आवेदन करना चाहिये और यदि कार्यालय में उपलब्ध हो तो ढूँढकर अन्यथा यदि जनपद पंचायत से प्राप्त की जाना हो तो जिस जनपद पंचायत में पूर्व में वे सेवा में थे, वहां से प्राप्त की जाकर अब 01 माह के अंदर पूर्ण जानकारी निःशुल्क दिये जाने के भी निर्देश दिये जाते हैं।

5/ उपरोक्त निर्देश के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त